ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

हिंदुस्तान में बाल श्रम संशोधित अधिनियम : एक अध्ययन

Dr. Madhukar Shyam Shukla

Associate Professor, Dept. of Economics, S.S. PG College, Shahjahanpur, India

सार

अपने देश के समक्ष बालश्रम की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम भी उठाये हैं। समस्या के विस्तार और गंभीरता को देखते हुए इसे एक सामाजिक-आर्थिक समस्या मानी जा रही है जो चेतना की कमी, गरीबी और निरक्षरता से जुड़ी हुई है। इस समस्या के समाधान हेतु समाज के सभी वर्गों द्वारा सामूहिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 1979 में भारत सरकार ने बाल-मज़दूरी की समस्या और उससे निज़ात दिलाने हेतु उपाय सुझाने के लिए 'गुरुपाद स्वामी समिति' का गठन किया था। समिति ने समस्या का विस्तार से अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। उन्होंने देखा कि जब तक गरीबी बनी रहेगी तब तक बाल-मजदूरी को हटाना संभव नहीं होगा। इसलिए कानूनन इस मुद्दे को प्रतिबंधित करना व्यावहारिक रूप से समाधान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में समिति ने सुझाव दिया कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल-मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य के स्तर में सुधार लाया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि कार्यरत बच्चों की समस्याओं को निपटाने के लिए बहुआयामी नीति बनाये जाने की जरूरत है।

'गुरुपाद स्वामी समिति' की सिफारिशों के आधार पर बाल-मजदूरी (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम को 1986 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशिष्टिकृत खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई गई है और अन्य वर्ग के लिए कार्य की शर्त्तों का निर्धारण किया गया। इस कानून के अंतर्गत बाल श्रम तकनीकी सलाहगार समिति के आधार पर जोखिम भरे व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं की सूची का विस्तार किया जा रहा है।

उपरोक्त दृष्टिकोण की सामंजस्यता के संदर्भ में वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बाल-मजदूरी नीति तैयार की गई। इस नीति के तहत जोखिम भरे व्यवसाय और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास कार्य पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की जरूरत बताई गई।

यूनीसेफ के अनुसार बच्चों का नियोजन इसलिए किया जाता है, क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम जिन कारणों से करते हैं, उनमें आम तौर पर गरीबी पहला है। लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनों का लागू नहीं होना, बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति अनिच्छुक माता-पिता (वे अपने बच्चों को स्कूल की बजाय काम पर भेजने के इच्छुक होते हैं, ताकि परिवार की आय बढ़ सके) जैसे अन्य कारण भी हैं। और यदि एक परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र आधार ही बाल श्रम हो, तो कोई कर भी क्या सकता है।

बाल श्रम उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कार्यक्रम के तहत 1.50 लाख बच्चों को शामिल करने हेतु 76 बाल श्रम परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। करीब 1.05 लाख बच्चों को विशेष स्कूलों में नामांकित किया जा चुका है। श्रम मंत्रालय ने योजना आयोग से वर्तमान में 250 जिलों की बजाय देश के सभी 600 जिलों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में शामिल करने के लिए 1500 करोड़ रुपये देने को कहा है। 57 खतरनाक उद्योगों, ढाबा और घरों में काम करनेवाले बच्चों (9-14 साल की उम्र के) को इस परियोजना के तहत लाया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान जैसी सरकारी योजनाएं भी लागू की जा रही हैं।

परिचय

हाल के एक अध्ययन ने भारत में **बाल श्रम और बंधुआ मजदूर** की परिभाषाओं के बारे में अस्पष्टता का मुद्दा उठाया है, यह अध्ययन विशेष रूप से गन्ना उत्पादक राज्यों (बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश) में किया गया।[1,2]

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

- इस अध्ययन का आयोजन **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** और **कोका-कोला कंपनी** द्वारा किया गया था ।

प्रमुख बिंदु:

अध्ययन का परिणाम:

- अध्ययनकर्त्ताओं ने **माता-पिता की सहायता करने वाले बच्चों को बाल श्रम** की श्रेणी से बाहर रखा है ।
- इसी तरह **प्रवासी श्रमिकों के अग्रिम भुगतान और बंधुआ मज़दूरों से संबंधित जोखिमों** को लेकर भ्रम की स्थिति थी ।
- गन्ने के क्षेत्र में अधिकांश हस्तक्षेप या तो सरकारी अधिकारियों द्वारा या कंपनियों के **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** द्वारा किया गया। कृषि तकनीकों में सुधार केवल गन्ना उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी।[3,4]

बाल श्रम और बंधुआ मज़दूर (अर्थ):

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा **बाल श्रम** को ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और गरिमा से वंचित करता है एवं जो उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधक है।
- **बंधुआ मज़दूर** को "सभी काम या सेवा के रूप में परिभाषित किया है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति जो ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिये श्रम करता है या सेवाएँ देता है, बंधुआ मज़दूर (Bounded Labour) कहलाता है।[5,6]
  - इसे ऋण बंधन या **ऋण दासता, अनुबंध श्रमिक या बंधक मज़दूर** भी कहा जाता है।
  - बंधुआ मज़दूरी एक ऐसी प्रथा है जिसमें **नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उच्च-ब्याज पर ऋण दिया जाता** हैं और **जो कम मज़दूरी पर उनसे काम कराते हैं तथा कर्ज का भुगतान** प्राप्त करते हैं।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

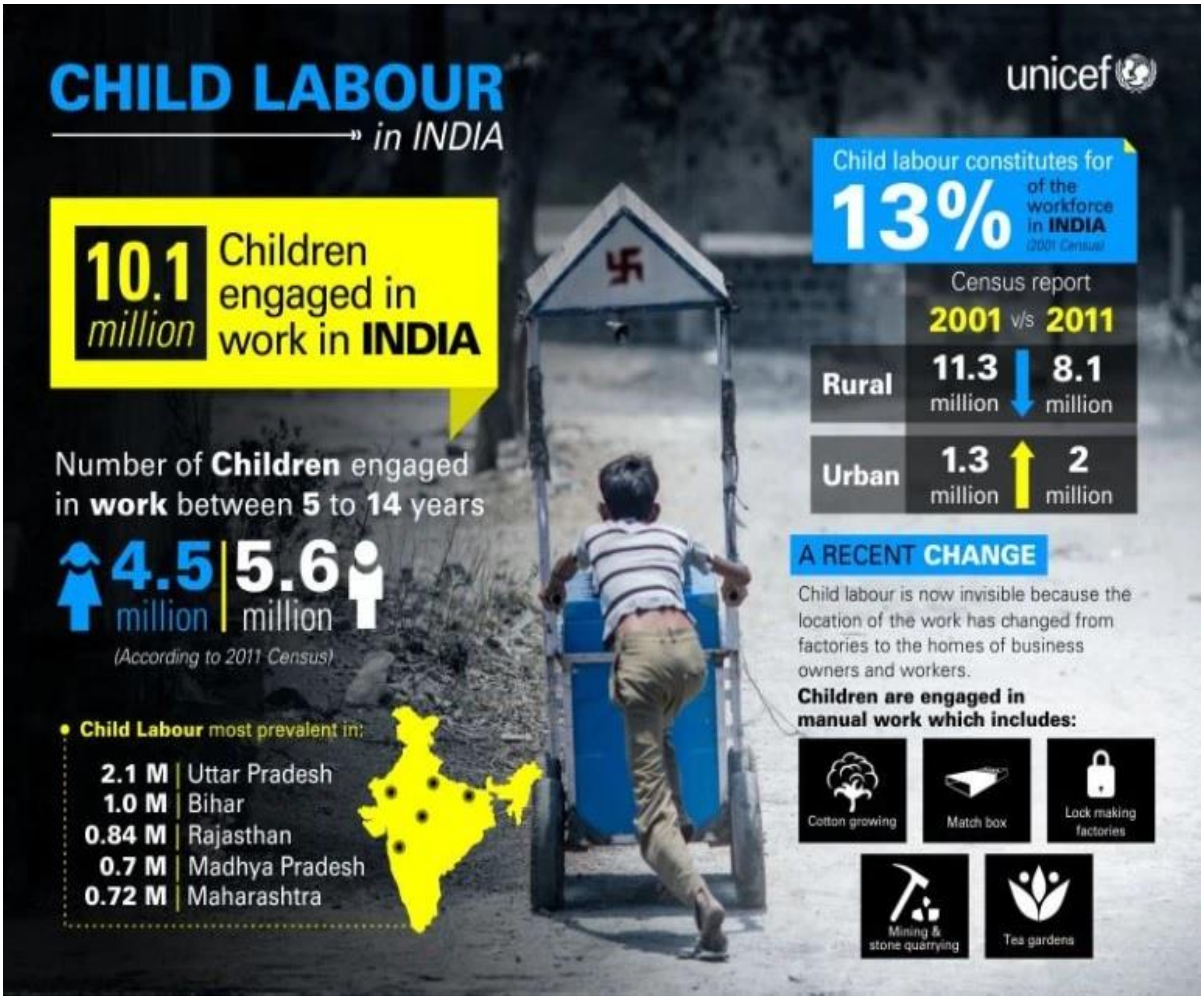

बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के प्रमुख प्रावधान:

- **अधिनियम** के अनुसार, **14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिये परिवार से जुड़े व्यवसाय को छोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने पर पूर्ण रोक** का प्रावधान किया गया है
- इसके अनुसार 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान में काम करने के लिये नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य **खतरनाक कार्यों** में नियुक्त किया जाएगा।
- अधिनियम के अनुसार, **बच्चे केवल स्कूल से आने के बाद या स्कूल की छुट्टियों के दौरान काम कर सकते हैं और बच्चों को परिवार के स्वामित्व वाले सुरक्षित क्षेत्रों में काम** करने की अनुमति है।[7,8]

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

- **आलोचना:**
  - यह आलोचना की जाती है कि अधिनियम "**परिवार या पारिवारिक उद्यमों**" में बाल श्रम की अनुमति देता है या बच्चे को **एक दृश्य-श्रव्य मनोरंजन उद्योग में एक कलाकार के रूप में कार्य करने** की अनुमति देता है ।
    - यह असंगठित क्षेत्रों में परिश्रम करने वाले बच्चों के एक वर्ग को शामिल नहीं करता है, जो **कृषि के साथ-साथ घरेलू कार्यों** को भी करते है।
  - अधिनियम **कार्य के समय को परिभाषित नहीं** करता है और यह बताता है कि बच्चे स्कूल से आने के बाद या छुट्टियों के दौरान काम कर सकते हैं।

भारत में बंधुआ मज़दूर:

- **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** के अनुसार, **बंधुआ मज़दूरी प्रचलित बाज़ार मज़दूरी और कानूनी न्यूनतम मज़दूरी** से कम है।
- भारत का **संविधान अनुच्छेद 23 (मौलिक अधिकार)** के अंतर्गत **बंधुआ मज़दूरी पर प्रतिबंध** लगाता है।
  - **अनुच्छेद 23:** मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है।
- समाज में कमज़ोर आर्थिक और सामाजिक स्थिति होने के कारण अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को गाँवों के जमींदार या साहूकार नाममात्र के वेतन या बिना किसी वेतन के श्रम करने को मज़बूर करते हैं।[9,10]

- वस्तुतः बंधुआ मज़दूरी केवल **ग्रामीण कृषि के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों** जैसे-खनन, माचिस फैक्ट्रियाँ और ईंट भट्ठे आदि में व्यापक रूप से प्रचलित है।दूसरे शब्दों में बंधुआ मज़दूरी मुख्यतः कृषि क्षेत्र तथा

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

अनौपचारिक क्षेत्र, जैसे- सूती कपड़ा हथकरघा, ईंट भट्टे, विनिर्माण, पत्थर खदान, रेशमी साड़ियों का उत्पादन, चाँदी के आभूषण, सिंथेटिक रत्न आदि में प्रचलित है।[11,12]

भारत में गन्ने की खेती

- यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिये 21°C से 27°C तापमान और 75 सेमी. से 100 सेमी. के बीच वार्षिक वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु अनुकूल मानी जाती है ।
- भारत में गन्नों की खेती मुख्य रूप से बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में की जाती है।
- इनमें से **उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य** है और देश में उगाई जाने वाली नकदी फसल का **लगभग 40%** योगदान देता है, इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान है, जिसका हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन का क्रमश: 21% और 11% है।[13,14]

भारत में अन्य बाल श्रम कानून / कार्यक्रम

- **संविधान का अनुच्छेद 24:** 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिये नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा।
- **बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति (1987):** 1987 में बाल मज़दूरी के लिये विशेष नीति बनाई गई, जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों के पुर्नवास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015:** इसमें आयु या व्यवसाय की सीमा के बिना देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में कामकाजी बच्चे शामिल हैं।

- **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) 2007:** इस योजना के तहत 9-14 वर्ष की आयु के बच्चों को काम करने से रोका जाता है और उन्हें एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिला दिया जाता है, जहाँ उन्हें प्रारंभिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल आदि मुख्यधारा से पहले औपचारिक शिक्षा प्रणाली, प्रदान की जाती है।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** ने राज्य के लिये यह सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया है कि 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो।
- **खान अधिनियम, 1952** 18 वर्ष से कम आयु के बालक से किसी खदान में मज़दूरी कराने पर रोक लगाता है। [15,16]
- **पेंसिल पोर्टल, 2017 नो चाइल्ड लेबर हेतु प्रभावी प्रवर्तन मंच :**
  - पेंसिल पोर्टल नो चाइल्ड लेबर के प्रभावी प्रवर्तन के लिये एक मंच है, जो बाल श्रम को खत्म करने के लिये केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसका उद्देश्य केंद्र, राज्य, ज़िला, सरकारें, सिविल सोसाइटी और आम जनता को बाल श्रम संबंधी समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने में शामिल करना है
  - यह बाल श्रम अधिनियम और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना **(NCLP)** योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये शुरू किया गया है।
- हाल ही में भारत ने बाल श्रम पर **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दो समझौतों 138 (रोज़गार के लिये न्यूनतम आयु) और 182 (बाल श्रम के सबसे निकृष्टतम रूप) के तहत बाल श्रम** को खत्म करने की पुष्टि की है।

बंधुआ मजदूर से संबंधित योजनाएँ / अधिनियम

बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976:

- इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है लेकिन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इसे लागू किया जाएगा।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

- यह सतर्कता समितियों के रूप में ज़िला स्तर पर एक संस्थागत तंत्र का प्रावधान करता है।
  - सतर्कता समितियाँ जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को सलाह देती हैं कि इस अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से लागू किया जाए।
- राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र के एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिये प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। [17]

पुनर्वास के प्रयास- बंधुआ मज़दूर पुनर्वास योजना 2016

- इस योजना के तहत बंधुआ मज़दूरी से मुक्त किये गए वयस्क पुरुषों को 1 लाख रुपए तथा बाल बंधुआ मज़दूरों और महिला बंधुआ मज़दूरों को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

विश्व बालश्रम निषेध दिवस का मुख्य उद्देश्य बालश्रम की वैश्विक समस्या पर ध्यान केंद्रित करके और बाल श्रम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आवश्यक प्रयास करना होता है। इस दिवस को महज रस्म अदायगी के तौर पर नहीं लेना चाहिए, गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। भारत में बालश्रम प्रतिबंध एवं नियमन संशोधन अधिनियम के तहत 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चों से काम कराने पर दो साल की सजा और पचास रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। [18]

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

विचार – विमर्श

केंद्र सरकार ने 1979 में बालश्रम की समस्या के अध्ययन और उससे निपटने के लिए उपाय सुझाने हेतु गुरुपादस्वामी समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी सिफारिशें करते हुए पाया कि जबतक गरीबी जारी रहेगी, तबतक बालश्रम को पूरी तरह मिटाना मुश्किल हो सकता है और इसलिए किसी कानूनी उपाय के माध्यम से उसे समूल मिटाने का प्रयास व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं होगा। समिति ने महसूस किया था कि इन परिस्थितियों में खतरनाक क्षेत्रों में बालश्रम पर प्रतिबंध लगाना और अन्य क्षेत्रों में कार्यकारी परिस्थितियों को विनियमित करना और उनमें सुधार लाना ही एकमात्र विकल्प है। कामकाजी बच्चों की समस्याओं से निपटने के लिए विविध-नीति दृष्टिकोण आवश्यक है। उसके बाद अबतक कई बार कानून में संशोधन किया गया। स्थिति सुधरने की जगह और विकराल हो गई। शहरों में बाल मजदूरों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है।

क्योंकि शहरों में लोग बच्चों से मजदूरी के अलावा बाकी अन्य काम भी जबरन कराते हैं। शहरों में बच्चों का शारीरिक शोषण जमकर किया जा रहा है।[19]

बालश्रम जैसी बुराई को बढ़ावा क्यों दिया जाता है इस थ्योरी को भी हमें समझना होगा। दरअसल, छोटे-छोटे बच्चे सस्ती दिहाड़ी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसकी भरपाई के लिए मानव तस्कर गिरोह सबसे ज्यादा निशाना बच्चों को बनाते हैं। बालश्रम के लिहाज से भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले भयावह है।

साथ ही हिंदुस्तान का प्रत्येक 11वां बच्चा बाल मजदूरी करता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा शारीरिक, मानसिक शोषण भी छोटे बच्चों का होता है। बाल तस्करी भयानक रूप लेती जा रही है। धनाड्य लोग जमकर बच्चों का शारीरिक शोषण करते हैं। बच्चों की तस्करी करके उन्हें कारखानों में जबरन कैद करके उनसे मजदूरी कराई जाती है। कई तरह के जुल्म नौनिहाल सह रहे हैं। दुख की बात यह है कि भारत के अधिकांश बच्चे अपने अधिकार यानी बाल अधिकार कानून से वंचित हैं। अधिकार के रूप में उन्हें विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु उनका टीकाकरण किया जाना चाहिए, उससे पूरी तरह से वंचित हैं। नौनिहालों के बचपन को बचाने व श्रमिकता भरे दलदल से निकालने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है।[20]

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

गरीब परिवारों के बच्चों को मजदूरी विरासत में मिलती है। ये उन्हीं के हिस्से आती है जो बच्चे शुरू से गरीबी का दंश झेलते हैं। यही कारण है कि बाल मजदूरी हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। वैसे, देखा जाए तो बालश्रम की समस्या न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए अभिशाप है बल्कि समूची संसार के लिए भी एक कलंक की तरह है। इससे निजात पाना सभी के लिए बड़ी चुनौती है। सरकारी-सामाजिक स्तर पर हो रही कोशिशों के बावजूद इस विकट समस्या पर अंकुश नहीं लग पा रहा। ज्यादातर मुल्कों ने अपने यहां बालश्रम पर प्रतिबंध लगाया हुआ, बावजूद इसके बच्चों से खुलेआम मजदूरी कराई जाती है। चाय की दुकानें हो या छोटे-बड़े होटल, वहां कम उम्र के बच्चे ही काम करते हैं। प्रशासनिक स्तर पर समय-समय पर विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन खास नतीजा नहीं निकलता। इस क्रम में पूरे संसार भर में बालश्रम की क्रूरता को समाप्त करने के लिए 12 जून की तारीख को मुकर्रर किया गया है जिसे विश्व बालश्रम निषेध दिवस के रूप मनाया जाता है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है, बाल श्रम को काबू में लाने के लिए विभिन्न देशों द्वारा प्रयास किए जाने के बाद भी इस स्थिति में सुधार नहीं हो पाता[19]

परिणाम

बहरहाल बालश्रम रोकने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की जरूरत है। बालश्रम मुख्यता गरीबी का मुख्य हिस्सा समझा जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में लोग अपने बच्चों और अपने पेट की भूख मिटाने के लिए श्रम की भट्ठियों में तपाने के लिए विवश हैं।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

बुंदेलखंड से कुछ वक्त पहले एक खबर आई थी जिसमें वहां के गरीब किसानों ने अपने बच्चों को राजस्थान के व्यापारियों के पास गिरवी रख दिए थे। बच्चों से अनैतिक कार्य कराना हो, भीख मंगवाना हो, मजदूरी करानी हो, कई ऐसे काम हैं जो बच्चों से कराए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हमारी तरक्की पर पलीता लगाने का काम करती हैं। हिंदुस्तान में बच्चे आज भी चुनावी मुद्दों, राजनैतिक, सामाजिक प्राथमिकताओं में नहीं गिने जाते। बच्चों से कई अपराध जुड़े हैं लेकिन उनकी समस्या कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनती। इनको परेशानी विरासत में मिलती है। खबरें ऐसी भी सुनने को मिलती हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से बच्चों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं उसे स्थानीय प्रशासन उनतक पहुंचाते ही नहीं। अगर ऐसा है तो बहुत चिंतनीय बात है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए।

यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट पर गौर करें तो भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े करीब बीस करोड़ बच्चे मजदूरी करते हैं। इनकी सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है दूसरे नंबर पर बिहार आता है। इन बच्चों का इस्तेमाल सस्ते श्रमिकों के रूप में किया जाता है। लोग इन बच्चों को कम दिहाड़ी पर रखते हैं लेकिन काम बड़ों से ज्यादा लेते हैं। भारत वह देश है, जो विविधता में एकता के सिद्वांत में विश्वास रखता है। जहां विभिन्नधर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय और भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। कर्तव्य, नैतिकता और जिम्मेदारी की दुहाई दी जाती है। लेकिन इन सबके बीच बालश्रम जैसी बुराई खुलेआम होती है। सभी की नजरों के सामने। फिर हम क्यों इस बुराई से अपनी नजरें फेर लेते हैं। रोड पर मजदूरी करते देख एक मासूम बच्चे से हम क्यों अपनी आंखे मूंद लेते हैं। उस समय क्यों हम अपने हिस्से की सामाजिक जिम्मेदारी पर पर्दा डाल लेते हैं। ऐसे कई सवाल हैं। पर, उसका जवाब हमारे पास नहीं होता। इस समस्या को रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर लोगों को आगे आना होगा। जहां भी बच्चे मजदूरी करते दिखें, उनकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से करें। लगातार जब ऐसी कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी तो स्थिति में सुधार शुरू होगा।[18,19]

निष्कर्ष

क्या बच्चों को काम पर रखना क़ानूनी है?

नहीं, १४ साल से कम उम्र के बच्चों को काम देना गैर-क़ानूनी है; हालाँकि इस नियम के कुछ अपवाद हैं जैसे की पारिवारिक व्यवसायों में बच्चे स्कूल से वापस आकर या गर्मी की छुट्टियों में काम कर सकते हैं। इसी तरह फिल्मों में बाल कलाकारों को काम करने की अनुमति है, खेल से जुड़ी गतिविधियों में भी वह भाग ले सकते हैं।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

14-18 वर्ष की आयु के बच्चों को काम पर रखा जा सकता है (जो किशोर/किशोरी की श्रेणी में आते हैं) यदि कार्यस्थल सूची में शामिल खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया से न जुड़ा हो।

यदि कोई व्यक्ति मेरे आस-पड़ोस में बच्चों से काम करवाता है, तो इस बारे में मैं क्या कर सकती हूँ ?

यदि आपने इस क़ानून का उल्लंघन होते हुए देखा है तो आप इसकी शिकायत पुलिस या मजिस्ट्रेट से कर सकती हैं। आप बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं की नज़र में भी यह ला सकती हैं जो मुद्दे को आगे तक ले जा सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी या बाल मज़दूर इंस्पेक्टर भी शिकायत कर सकते हैं।

यह अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आता है, यानिकी/अर्थात इस कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर वारंट की गैर-मौजूदगी में भी गिरफ़्तारी या जाँच की जा सकती है।

इस क़ानून का उल्लंघन करते हुए बच्चों को काम पर रखने पर क्या सज़ा दी जा सकती है ?

कोई भी व्यक्ति जो १४ साल से कम उम्र के बच्चे से काम करवाता है अथवा १४-१८ वर्ष के बच्चे को किसी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में काम देता है, उसे ६ महीने – २ साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है और साथ ही २०,००० -५०,००० रूपए तक का जुर्माना भी हो सकता है।

रजिस्टर न रखना, काम करवाने की समय-सीमा न तय करना और स्वास्थ्य व सुरक्षा सम्बन्धी अन्य उल्लंघनों के लिए भी इस कानून के तहत १ महीने तक की जेल और साथ ही १०,००० रूपए तक का जुर्माना भरने की सज़ा हो सकती है। यदि आरोपी ने पहली बार इस कानून के तहत कोई अपराध किया है तो केस का समाधान तय किया गया जुर्माना अदा करने से भी किया जा सकता है।

इस क़ानून के अलावा और भी ऐसे अधिनियम हैं (जैसे की फैक्ट्रीज अधिनियम, खान अधिनियम, शिपिंग अधिनियम ,मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम इत्यादि) जिनके तहत बच्चों को काम पर रखने के लिए सज़ा का प्रावधान है, पर बाल मज़दूरी करवाने के अपराध के लिए अभियोजन बाल मज़दूर कानून के तहत ही होगा।[17,18]

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

इस कानून के तहत संरक्षित किये गए बच्चों के साथ क्या होता है ?

इस क़ानून का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों से जिन बच्चों को बचाया जाता है उनका नए कानून के तहत पुनर्वास किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चे जिन्हें देख-भाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, उन पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम २०१५ लागू होता है।

क्या बच्चों का पारिवारिक व्यवसाय में काम करना क़ानूनी है ?

हाँ, १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय में नियोजित किया जा सकता है। ऐसे व्यापार जिनका संचालन किसी करीबी रिश्तेदार (माता, पिता, भाई या बहन) या दूर के रिश्तेदार (पिता की बहन और भाई, या माँ के बहन और भाई) द्वारा किया जाता है, वह इस परिभाषा में शामिल हैं।

यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि पारिवारिक व्यापार इस क़ानून के तहत परिभाषित खतरनाक प्रक्रिया या पदार्थ से जुड़ा न हो। ऊर्जा/बिजली उत्पादन से जुड़े उद्योग, खान, विस्फोटक पदार्थों से जुड़े उद्योग इस परिभाषा में शामिल हैं। खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रिया की परिभाषा में सभी शामिल व्यवसायों की सूची यहाँ पढ़ें।

हालाँकि बच्चे पारिवारिक व्यवसाय में सहयोग दे सकते हैं, यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इससे उनकी पढ़ाई पर कोई असर न पड़े, इस हेतु उन्हें स्कूल से आने के बाद या छुट्टियों में ही काम करना चाहिए।

क्या माता-पिता/अभिभावकों को अपने बच्चों को काम करने की अनुमति देने के लिए दंडित किया जा सकता है?

सामान्यतः बच्चों के माता-पिता /अभिभावकों को अपने बच्चों को इस कानून के विरुद्ध काम करने की अनुमति देने के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती है परन्तु यदि किसी १४ वर्ष से कम आयु के बच्चे को व्यावसायिक उद्देश्य से काम करवाया जाता है या फिर किसी १४-१८ वर्ष की आयु के बच्चे को किसी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करवाया जाता है तो यह प्रतिरक्षा लागू नहीं होती और उन्हें सज़ा दी जा सकती है। क़ानून उन्हें अपनी भूल सुधारने का एक अवसर देता है, यदि वह ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाते हैं तो वह इसे समाधान/समझौते की प्रक्रिया से निपटा सकते हैं, पर यदि वह फिर से अपने बच्चे को इस क़ानून का उल्लंघन करते हुए काम करवाते हैं तो उन्हें १०,००० रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।[19,20]

संदर्भ

1. लौरा डेल कर्नल (वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी)। "द लाइफ ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर इन उन्नीसवीं-सेंचुरी इंग्लैंड" । विक्टोरियन वेब.ऑर्ग .
2. ^ "कारखाना और कार्यशाला अधिनियम, 1901" । ब्र मेड जे । **2** (2139): 1871-
3. ^ "बाल श्रम क्या है?" . अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। 2012.
4. ^ "बच्चे के अधिकारों पर सम्मेलन" । संयुक्त राष्ट्र । मूल से 3 अक्टूबर 2006 को पुरालेखित । 5 अक्टूबर 2006 को पुनःप्राप्त .
5. ^ "अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून - बाल श्रम" । अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। 2011.
6. ^ "श्रम कानून - एक अमीश अपवाद" । अर्थशास्त्री । 5 फरवरी 2004।
7. ^ लार्सन, पीबी स्वदेशी और आदिवासी बच्चे: बाल श्रम और शिक्षा चुनौतियों का आकलन । बाल श्रम के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीईसी), अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय।
8. ^ "बाल श्रम पर 22 जून 1994 का परिषद निर्देश 94/33/ईसी" । यूरो-लेक्स। 2008.
9. ^ कनिंघम और वियाज़ो (1996)। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बाल श्रम: 1800-1985 (पीडीएफ) । यूनिसेफ। आईएसबीएन 978-88-85401-27-3. मूल (पीडीएफ) से 23 नवंबर 2015 को संग्रहीत ।
10. ^ प्रुगल, एलिजाबेथ (1999)। द ग्लोबल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर - होम बेस्ड वर्क इन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ 20वीं सेंचुरी । कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस। पीपी. 25-31, 50-59। आईएसबीएन 978-0231115612.
11. ^ हिंडमैन, ह्यूग (2009)। बाल श्रम की दुनिया । एमई शार्प। आईएसबीएन 978-0-7656-1707-1.
12. ^ "यूनिसेफ डेटा - बाल श्रम" । यूनिसेफ। 2017 ।
13. ^ "बाल श्रम" । अर्थशास्त्री । 20 दिसंबर 2005।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 7, Issue 7, July 2018

14. ^ एरिक वी. एडमंड्स; नीना पावनिक (शीतकालीन 2005)। "वैश्विक अर्थव्यवस्था में बाल श्रम" (पीडीएफ) । जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ।
15. ^ "बाल श्रम - कारण" । आईएलओ, संयुक्त राष्ट्र। 2008.
16. ^ नॉरबर्ग , जोहान (2007), वर्ल्डेंस वाल्फ़र्ड (स्टॉकहोम: स्वीडन के सरकारी कार्यालय), पृष्ठ. 58
17. ^ "बाल श्रम को खत्म करने के लिए, "इसकी जड़ों पर हमला करें" यूनिसेफ का कहना है । यूनिसेफ। 2013.
18. ^ थॉम्पसन
19. ^ डायमंड, जे., द वर्ल्ड बिफोर टुमॉरोडे
20. ^ लौरा डेल कर्नल, वेस्ट वर्जीनिया विश्वविद्यालय, " द लाइफ ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर इन उन्नीसवीं-सेंचुरी इंग्लैंड "